ई समाचार पत्र

राष्ट्र महिला

खण्ड 1, संख्या 234, जून-2019

राष्ट्रीय महिला आयोग

एलबीएसएनएए, मसूरी में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित राज्य महिला आयोगों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एलबीएसएनएए के सहयोग से तारीख 19 से 21 जून; 2019 तक राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया; श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष रा.म.आ. ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अर्थात्, श्रीमती कमलेश गौतम, श्रीमती सोसो साइजा, श्रीमती राजुलबेन एल. देसाई, श्रीमती चंद्रमुखी देवी और श्रीमती श्यामला एस कुंदर ने भी भाग लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कुल मिलाकर अरूणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के 16 राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिवों के स्तर के कुल 33 प्रतिनिधियों ने, भाग लिया।

विभिन्न तकनीकी सत्रों में निम्नलिखित मुख्य मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया: (i) लिंग, पितृसत्ता, पुरूष और पुरूषत्व, (ii) महिलाओं से संबंधित विधियां, (iii) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामले में कार्यवाही करने से संबंधित चुनौतियां, (iv) लिंग संबंधित मुद्दों के संबंध में साझेदारों का दृष्टिकोण, (v) उत्तरजीवियों के संबंध में कार्यवाही करते समय मौखिक इतर संसूचना का महत्व, (iv) महिलाओं और लड़कियों के आयोगों के बीच संमिलन के लिए चुनौतियां और संभावनाएं। श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव, रा.म.आ. और एलबीएसएनएए द्वारा संचालित 'आयोग का मार्गदर्शन: प्रशस्त मार्ग' विषय पर आयोजित सत्र के साथ विचार–विमर्श समाप्त किया गया।

राज्य महिला आयोगों के साथ एक पारस्परिक संवाद बैठक

आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में तारीख 3 जून, 2019 को राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों/प्रतिनिधियों के साथ एक दिन की पारस्परिक संवाद बैठक आयोजित की। श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने इस बैठक की अध्यक्षता की और इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों/सदस्यों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इस पारस्परिक संवाद सत्र का आयोजन किया गया था। विचार–विमर्श का उद्देश्य अच्छी कार्यप्रणाली को सांझा करने के लिए एक सार्वजनिक मंच प्रदान करना था जिससे शिकायत प्रतितोष प्रणाली को मजबूत किया जा सके। इस बैठक में, 'मानवीय दुर्व्यापार', 'घरेलू कर्मकारों के अधिकार और हालात–महिला घरेलू कर्मकारों के विशेष संदर्भ में' और 'भारतीय समाज में दहेज' का विद्यमान संकट जैसे मुद्दों पर भी, ध्यान केंद्रित किया गया।

श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ. ने अपने उद्घाटन भाषण में बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाए जा रहे डिजीटल साक्षरता अभियान के बारे में आशा व्यक्त करते हुए त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पद्धति के महत्व पर बल दिया। उन्होंने आगे यह जानकारी दी कि डिजीटल साक्षरता में अगला कदम प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का होगा और राज्य महिला आयोगों से यह अनुरोध किया कि अधिक प्रशिक्षक तैयार करने के लिए वे सक्रिय रूप से कार्य करें। राज्य महिला आयोगों द्वारा इस विचार–विमर्श में प्रस्तुतीकरण समाविष्ट था और इसके पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर भाग लेने वालों द्वारा विचार–विमर्श किया गया:

(i) **डिजीटल साक्षरता कार्यक्रम:** साइबर पीस फांउडेशन के सदस्यों के दल में से एक सदस्य सुश्री जेनिस वर्गीज द्वारा विचार–विमर्श आरंभ किया गया। उन्होंने फेसबुक के सहयोग से जून 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आरंभ किए गए उस कार्यक्रम के बारे में ब्यौरे दिए जिसमें लगभग 60,400 महिलाएं सम्मिलित हुई है। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में 11 राज्यों में से एक राज्य से कम से कम 10,000 महिलाओं को सम्मिलित करके 1 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का लक्ष्य है।

(ii) **दहेज से संबंधित विधियां:** आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग के निदेशक द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम और आंध्र प्रदेश दहेज प्रतिषेध नियम 1998 के मुख्य उपबंधों पर विचार–विमर्श किया और इसके पश्चात् शिक्षा, महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण, लड़कियों के विवाह की बाबत सामाजिक दवाब को समाप्त करना, दहेज के दानव को समाप्त करने के लिए संगठित अभियान और जागरूकता शिविरों आदि का आयोजन करने जैसे उपचारात्मक

उपायों के संबंध में सुझाव दिए गए। गुजरात राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने दहेज अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा विरचित नियमों के बारे में और राज्य में 44 दहेज परिवीक्षाधीन अधिकारियों के माध्यम से इसके सक्रिय अनुवीक्षण के बारे में जानकारी दी।

(iii) घरेलू कर्मकार–महिलाओं के विशेष संदर्भ में: अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने मजदूर वर्ग की महिलाओं की बाबत अपने विचार प्रकट किए क्योंकि उत्तराखंड में 50 प्रतिशत से अधिक मजदूर वर्ग की महिलाएं है जो कि संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कार्य करती है। महिला घरेलू मजदूरों की बाबत मुख्य चिंता का विषय नौकरी में असुरक्षा, कम मजदूरी, शारीरिक, मानसिक और लैंगिक दुरूपयोग की भेद्यता, अस्वास्थ्यकर काम करने की दशा आदि है। उन्होंने घरेलू मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों, शोषण से उनका संरक्षण करने के लिए विनिर्दिष्ट विधियां, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन और उनके अधिकारों तथा उनकी परिवेदनाओं का प्रतितोष के संरक्षण के लिए एक पद्धति तैयार करने का सुझाव दिया। अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग ने राज्य में स्थिति का सिंहावलोकन किया। उन्होंने भी इसी प्रकार की चिंता व्यक्त की और घरेलू मजदूरों के लिए भर्ती और संविदा, प्रतितोष प्रणाली आदि की बाबत विनियम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य महिला आयोग ने बाल विकास राज्य विभाग से आंकड़ें और अन्य संबंधित जानकारी संगृहित करने के लिए पहले ही अनुरोध किया है। उन्होंने घरेलू मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए पीओएसएच अधिनियम, 2013 और भारतीय दंड संहिता के उपबंधों का अवलंब लेने पर जोर दिया। सदस्य, बिहार, राज्य महिला आयोग ने राज्य में घरेलू मजदूरों का विनियमन, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए किसी संस्थानिक स्थापना की कमी से संबंधित मुद्दा उठाया।

(iv) मानव दुर्व्यापार के विरूद्ध विधियां: अध्यक्ष, झारखंड, राज्य महिला आयोग ने यह इंगित किया कि झारखंड जनजातीय क्षेत्र दुर्व्यापार के स्रोत के मुख्य क्षेत्र है और इस परिस्थिति का कारण निम्न साक्षरता दर और अत्यधिक गरीबी है। उन्होंने दुर्व्यापार की पीडितों को बचाने, पुनर्वास करने और पुनः एकीकरण के संबंध में राज्य आयोग की कई उपलब्धियों को उदृत किया। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि मानव विरूद्ध दुर्व्यापार इकाईयों को प्रशिक्षित करके और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 13(3) (ख) का उचित कार्यान्वयन तथा राज्य महिला आयोगों की दिशा निर्देशों के अधीन गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क का उपयोग करके किसी सलाहकार निकाय की सहायता से मानवीय दुर्व्यापार पर नियंत्रण किया जा सकता है। अध्यक्ष, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने मानवीय दुर्व्यापार को आज के आधुनिक समय की गुलामी के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि दुर्गा समिति योजना/एप्प के रूप में ज्ञात राज्य पुलिस योजना, जो कि सर्तकता बढ़ाने के माध्यम से ऐसे अपराधों का निवारण करने के लिए कार्य करती है और संकट में पड़ी हुई महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। त्रिपुरा, राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि त्रिपुरा से लड़कियों का दुर्व्यापार हरियाणा राज्य में जबरदस्ती शादी करने और यहां तक कि बहुपतित्व के लिए किया जाता है।

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव, रा.म.आ. ने विचार विमर्श का समापन करते समय विद्यमान विधिक ढांचे की ओर ध्यान आकृष्ट किया और यह सुझाव दिया कि विधिक जागरूकता पैदा करने और विधियों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस उद्देश्यपूर्ण पारस्परिक संवाद परामर्श का भाग होने के लिए अपनी खुशी जाहिर की और राज्य महिला आयोग को सफलतापूर्वक इस बैठक को आयोजित करने के लिए धन्यवाद किया।

श्री ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव, रा.म.आ. ने राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव और राज्य महिला आयोगों से आमंत्रित भाग लेने वाले सदस्यों के प्रति एक लाभदायक और समृद्ध विचार विमर्श के लिए अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन के लिए सोच में बदलाव लाना आवश्यक है। उन्होंने इस सकारात्मक टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त की कि यह बैठक केवल कागज का भाग बन कर न रह जाए अपितु जिन मुद्दों पर विचार किया गया है उनके संबंध में वास्तविक रूप से कार्यवाही की जाए।

विश्व योग दिवस समारोह

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग के परिसर में तारीख 21 जून, 2019 को विश्व योग दिवस आयोजित किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एनआईपीपीसीडी, हौज खास, नई दिल्ली में 7 बजे पूर्वाह्न में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने एलबीएसएनएन, मसूरी, जहां वह राज्य महिला आयोग के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, में योग दिवस समारोह में भी भाग लिया।

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

देश में एसिड हमले से संबंधित मामलों की निगरानी:

राष्ट्रीय महिला आयोग के महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ ने मई–जून, 2019 के मास में 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा एसिड हमले की पीडितों/उत्तरजीवियों के अपलोड किए गए 810 मामलों का, जिन्हें आयोग की वेबसाइट पर बनाए रखा गया है, निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर: (i) प्रतिकर का भुगतान करने की स्थिति, (ii) चिकित्सा सहायता, (iii) आरोपपत्र फाइल करना और (iv) अभियोजन में प्रगति की समीक्षा की। आयोग ने संबंधित राज्यों/संघराज्य क्षेत्र सरकार को इस बाबत जो त्रुटियां है उन्हें संसूचित किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सफलतापूर्वक हस्तक्षेप

माननीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास के कार्यालय के माध्यम से तारीख 16.06.2019 को आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एक महिला जो अमेठी में अपने दो बच्चों जिनकी आयु 10 वर्ष और 3 वर्ष है को छोड़कर दिल्ली आई थी क्योंकि उसे अपने पति से अपनी जान का खतरा था। आयोग ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया और यह पाया कि दिल्ली में उसका परिवार बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित है। आयोग ने पुलिस अधिकारियों और बाल कल्याण समिति के बचाव दल के साथ मिलकर व्यथित महिला के बच्चों को बचा लिया और उन्हें उनकी माता के सुपुर्द कर दिया। यह मामला 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक निपटा दिया गया।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

जून 2019 के मास के दौरान आयोग में प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नलिखित है:

मास	प्राप्त की गई शिकायतें	बंद की गई शिकायतें (पुरानी+नई)
जून	1341	577

जन सुनवाई

शिकायतों की बढ़ती हुई संख्या और उनका त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से आयोग ने विभिन्न राज्यों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर के संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से महिला जन सुनवाई आयोजित की। इन जन सुनवाईयों में आयोग की अध्यक्ष या/और सदस्यों द्वारा अध्यक्षता की गई। जून 2019 मास के दौरान चार जिलों में जन सुनवाई आयोजित की गई थी। मामलों की सुनवाई की गई और बंद किए गए मामलों के अलावा आयोग ने शेष मामलों में शीघ्रतापूर्वक और आगे कार्यवाही करने के लिए डीएलएसए/पुलिस प्राधिकारियों को उचित निदेश भी जारी किए।

आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट केंद्र) एससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, कटक, ओडिसा का निरीक्षण किया (मेंटल हेल्थ (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ) एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कटक, ओडिसा)।

तारीख 29 जून, 2019 को आयोग के दो सदस्यीय, निरीक्षण दल, जिसमें श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, सुश्री स्वाति, जेटीई थी ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट केंद्र) एससीबी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, कटक, ओडिसा का दौरा किया। ओडिसा राज्य महिला आयोग के सदस्य श्रीमती स्नेहांजली मोहंती, श्रीमती कुसुम रथ, श्रीमती शशमिता नंदा, संपर्क अधिकारी, डीएलएसए, कटक की प्रतिनिधि, अधिवक्ता गार्गी, डाक्टर शारदा प्रसन्न सुवेन निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक और अस्पताल के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

निरीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा जो मुख्य टीका टिप्पणियां की गई है उनमें से कुछ निम्नलिखित है:

- मंजूर की गई 55 रोगियों की अनुमोदित क्षमता के स्थान पर यहां पर केवल 39 महिला रोगी थी।
- यहां पर काफी व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम जैसे दर्जीगिरी के लिए माडुलर प्रशिक्षण, बढ़ईगिरी, डोर मेट, सोफा कवर मेट बनाने की मदें, डिब्बा पैकिंग, बैंकिंग और क्रय में ऑफिस ब्वॉय प्रशिक्षण, मोबाइल कवर, सजावटी वस्तुएं बनाना आदि का प्रशिक्षण महिला रोगियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इन सभी क्रियाकलापों में दैनिक आधार पर तीन घंटे के लिए संवासी काम करती है जो कि उनके रोगोपचार के लिए भी लाभप्रद है। ये क्रियाकलाप महिला रोगियों के लिए उत्पादक और लाभदायक है और उपचार के पश्चात् उनको आत्म निर्भर बनाता है।
- प्रतिवर्ष राज्य में के सभी मानसिक अस्पतालों के बीच खेल आयोजित किए जाते हैं। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय त्योहारों पर तथा रोगियों के जन्मदिन पर समारोह आयोजित किए जाते है। तथापि, विभिन्न प्रकार के और मनोरंजन क्रियाकलापों की आवश्यकता है जिससे रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता मिल सके।
- परिवार को परामर्श प्रदान करने के लिए और ओषधियों को बनाए रखने और उपचार के पश्चात् इलाज तथा ओषधियों का खराब प्रभाव यदि कोई हो के संबंध में परामर्श देने के लिए दो लाक्षणिक मनोवैज्ञानिक और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की गई है।
- रोगियों की सभी प्रक्रियाओं और उपचार के लिए एनएबीएच के मानकों के अनुसार बनाए गए मानक प्रचालन प्रक्रिया प्रोटोकॉल संस्थान में उपलब्ध है।
- अस्पताल से चार गैर सरकारी संगठन जैसे हॉप चेरीटेबल न्यास और सेवातीर्थ जुड़ें हुए हैं।

आयोग ने सर्किल जेल कटक का निरीक्षण किया

राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दो सदस्यीय दल जिसमें श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य, रा.म.आ. और सुश्री स्वाति, जेटीई, रा.म.आ. थी तारीख 29.06.2019 को चौधवार, कटक, ओडिसा के लिए गई और सर्किल जेल कटक का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल के दौरान श्री रबींद्रनाथ सुवेन, जेल अधीक्षक, श्रीमती स्नेहांजली मोहंती, माननीय सदस्य ओडिसा राज्य महिला आयोग, श्रीमती कुसुम रथ, श्रीमती शशमिता नंदा, संपर्क अधिकारी, डीएलएसए, कटक की प्रतिनिधि, अधिवक्ता गार्गी, मौजूद थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के विहित फॉर्मेट का उपयोग करते हुए दल ने निरीक्षण किया।

निरीक्षण के कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है:

- निरीक्षण के दौरान जेल में कोई महिला वार्डन ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी।
- महिला वार्डों/बैरकों में बहुत अधिक संवासी है। संवासियों के व्यक्तिगत सामान

को रखने की कोई सुविधा नहीं है। बैरकों की खिड़कियों में नेट/जाली नहीं लगी हुई थी।

- सिद्धदोष और विचारणाधीन कैदियों को अलग अलग नहीं रखा गया था।
- शौचालय और स्नान सुविधाएं अपर्याप्त है।
- चिकित्सा सुविधाएं/स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है और महिला संवासियों का उपचार करने के लिए कोई महिला डाक्टर, नर्स, मनोरोग चिकित्सक नहीं है। जेल में प्रवेश करते समय और उसके पश्चात् महिला संवासियों की चिकित्सीय परीक्षा नहीं की जाती है।
- यह पाया गया कि जेल की कैंटीन गंदी थी और दौरे की तारीख को कैंटीन में रखी हुई कुछ सामान की तारीखें समाप्त हो गई थी।
- कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर्याप्त है, मनोरंजन क्रियाकलापों के लिए कोई अलग कमरा नहीं है, पुस्तकालय सुविधा अपर्याप्त है और खुले दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से और आगे शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण महिला संवासी पूरे दिन खाली रहती है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक सहायता वकीलों द्वारा संवासियों के मामलों को उठाने के लिए उनसे रकम की मांग करने से संबंधित कदाचार को रोका जाना चाहिए और ऐसे वकीलों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रशासकों द्वारा किए गए क्रियाकलाप:

अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा

- श्रीमती विनीता दीक्षित, अध्यक्ष लोक नीति एआईआरएनबी (हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी) के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की जो भारत के सूक्ष्म उद्यमियों विशेषरूप से उत्तर–पूर्वी राज्यों में महिलाओं के लिए पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में जीवनयापन के अवसरों के लिए समर्थ बनाने के लिए तकनीक आधारित रणनीति संबंधी भागीदारी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और एआईआरबीएनबी, आयरलैंड, यूसी के बीच यह बैठक परियोजना की और आगे अवधि बढ़ाने तथा हस्ताक्षर करने की बाबत हुई थी। यह सहमति हुई कि निबंधनों और शर्तों में कोई तात्विक परिवर्तन किए बिना इस परियोजना को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जाए।

श्रीमती चंद्रमुखी देवी, सदस्य

- तारीख 02.06.2019 को मंत्री, पर्यटन प्रकोष्ठ, पर्यटन विभाग, बिहार से मुलाकात की और महिलाओं के कल्याण के संबंध में और उनकी उपेक्षित आवश्यकताओं के बारे में विचार–विमर्श किया।

- अलीगंज, भागलपुर में एसिड हमले की मृत पीडिता के परिवार से मिली। सदस्य महोदया को यह जानकारी दी गई कि लड़की को सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली ले जाया गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

श्रीमती सोसो साइजा, सदस्य

- सेनापति और उखरूल, मणिपुर में तारीख 27.05.2019 से 2.6.2019 तक घर पर रूकने के पर्यटन से संबंधित आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की।
- तारीख 6.6.2019 को खेल मंत्रालय, नई दिल्ली में माननीय खेल मंत्री श्री के. रिजिजू से उनके कार्यालय में भेंट की और खेलों में पूर्वोत्तर की महिलाओं के भाग लेने की बाबत विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।
- तारीख 14.06.2019 को बीसीसीसी (प्रसारण विषय वस्तु शिकायत परिषद) के एक सदस्य के रूप में असंल प्लाजा, खेलगांव, नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया और लाभदायक जानकारी प्रदान की।

- राज्य में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा स्व प्रेरणा से लिए गए मामलों की बाबत मुंबई में डीजीपी श्री सुबोध कुमार जायसवाल के साथ बैठक की।

श्रीमती श्यामला एस कुंदर, सदस्य

- वर्ष के लक्ष्य प्राप्तिकर्ताओं का सम्मान प्रदान करने के लिए तारीख 30.06.2019 को मुंबई में संघ की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लिया और 'राज्य महिला सम्मान' पुरस्कार प्राप्त किया।

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, सदस्य सचिव

- आयोग के परिसर में तारीख 4.6.2019 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 47 प्रशिक्षुओं के एक समूह के साथ एक पारस्परिक संवाद सत्र में अध्यक्षता की। इस दौरे का उद्देश्य आयोग की कार्यप्रणाली को समझना था और प्रशिक्षुओं तथा उनके साथ आए अधिकारियों के साथ एक पारस्परिक संवाद सत्र आयोजित किया गया।

स्व प्रेरणा प्रकोष्ठ

आयोग ने जून 2019 मास के दौरान प्रिंट मीडिया में प्रतिवेदित कुल 29 मामलों का स्व प्रेरणा से संज्ञान लिया। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में से कुछ मामले निम्नलिखित है:–

भटिंडा में बलात्कार की उत्तरजीवी को न्याय न मिलना

तारीख 4.6.2019 को विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि पुलिस और राजनीतिज्ञों की वजह से भटिंडा में बलात्कार की उत्तरजीवी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, आयोग द्वारा स्व प्रेरणा से इस मामले का संज्ञान लिया गया और एक तथ्य पता लगाने वाले दल का गठन किया गया। श्रीमती श्यामला एस. कुंदर, आयोग की माननीय सदस्य ने सुश्री कंचन खट्टर, ज्येष्ठ समन्यवक, के साथ तारीख 6.6.2019 को बलात्कार की उत्तरजीविका को न्याय न मिलने की बाबत जांच पड़ताल की। आयोग के हस्तक्षेप करने के पश्चात् इस मामले का अन्वेषण अब एक ज्येष्ठ पुलिस अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भटिंडा को यह निदेश किया गया है कि पीडिता को प्रतिकर प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही की जाए।

केरल की महिला पुलिस को बेरहमी से काटकर जिंदा जला दिया

तारीख 15.6.2019 को विभिन्न राष्ट्रीय समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि केरल में मावलीइकरा में एक और अन्य पुलिस वाले ने एक महिला कांसटेबल को अभिकथित रूप से बेरहमी से काटने के पश्चात् दिन दहाड़ें आग लगाकर जलाने से उसकी मृत्यु हो गई। आयोग ने संज्ञान लिया और केरल पुलिस से एक ब्यौरेवार की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह सूचित किया गया है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पंजाब, जालंधर में महिला रोगियों के साथ बुरा व्यवहार

आयोग ने जालंधर से प्राप्त हुई इस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें जालंधर में परिवार नियोजन शिविर में महिला नसबंदी शल्यक्रिया करने के पश्चात् 33 महिलाओं को फर्श पर लिटा दिया गया था। आयोग ने पंजाब सरकार से एक ब्यौरेवार की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

बिहार में बलात्कार का विरोध करने के लिए महिला को आग लगाने से मृत्यु

आयोग ने तारीख 7.6.2019 को 'बिहार में बलात्कार का विरोध करने के लिए महिला को आग लगाई' शीर्षक नामक मीडिया रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई रिपोर्ट का आयोग ने स्व प्रेरणा से संज्ञान लिया। आयोग ने तारीख 10.6.2019 को एक जांच समिति का गठन किया। माननीय सदस्य, श्रीमती चंद्रमुखी देवी ने सुश्री पलक जैन, जेटीई, रा.म.आ. के साथ जांच पड़ताल की और श्री आशीष भारती, एसएसपी, भागलपुर के साथ एक बैठक की। इसके पश्चात् सर्किट हाउस भागलपुर में मीडिया के साथ बातचीत की गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, **जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,** नई दिल्ली– 110025 द्वारा प्रकाशित।
डायलः 011-26942369, 26944740, 26944754, 26944805, 26944809
डॉलफिन प्रिंटो ग्राफिक्स, 1ई/18, चौथा तल, जालंधर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 #011-23593541-42.